कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर

क्रमांकः– /2018/ 23939 दिनांक :– 27/12/18

प्रेषित :–

श्रीमान् सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर।

12322
27/12/18

विषय :– उप स्वास्थ्य केन्द्र हेतु भूमि उपलब्ध करवाने बाबत्।

महोदयजी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उप स्वास्थ्य केन्द्र ग्राम सोलह मील फांटा बावरला, बिसलपुर के पास, जोधपुर जोधपुर हेतु स्वीकृत हुए है। अतः उपरोक्त कार्य हेतु भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण केन्द्र के अन्तर्गत आती है।

कृपया उपरोक्त कार्य हेतु भूमि उपलब्ध कराने की व्यवस्था करावे ताकि निर्माण कार्य समय पर सम्पादित हो सके।

सलंग्न :–

1. आवेदन पत्र प्रारूप स.
2. चैक लिस्ट (परिशिष्ट –1)

27/12

मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी,
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर

जोधपुर विकास प्राधिकरण जो.
क्रमांक.......
दिनांक
शाखा
सचिव
आवक/जावक शाखा

प्रपत्र –स

<u>सरकारी विभागों / स्वायत्तशासी संस्थाओं / निगमो को भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना–पत्र</u>

1. विभाग / संगठन का नाम चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जोधपुर
2. प्रार्थी का नाम व पदनाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) डा. सुनील कुमार सिंह बिष्ट, CMHO जो
3. डाक पता, टेलिफोन नं. मोबाईल नं. व मेल आई.डी. सेन्ट्रल जेल के पास मोहनपुरा पुलिया 0291-2511085 / 99266 0278
4. भूमि आवंटन का उद्देश्य उप स्वास्थ्य केन्द्र- सोलहमील ध्राटा, बावड़ी, बिसलपुर के पास गांव
5. चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो) 132 x 132 foot or As per norms
6. भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर मे) 1 बीघा
7. पोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान, अनुमानित निवेश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने वाले लाभो बाबत संक्षिप्त विवरण) ग्रामीणों को चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना)
8. संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज:–
   - (I) प्रोजेक्ट के बाबत प्रशासनिक निर्णय की प्रति:–
   - (II) चाही गई भूमि बाबत विभागिय मानक (Norms):–
   - (III) वित्तीय स्वीकृति / बजट प्रावधान का विवरण:–
   - (IV) प्रोजेक्ट रिपोर्ट (चाही गई भूमि पर बनने वाले प्रोजेक्ट बाबत मुख्य विवरण)

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाएं मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य है व कुछ भी नही छुपाया गया है। संस्थान / कम्पनी / आवेदनकर्ता आवंटन की शर्तो / निर्देशों व उप–विधियों आदि की समस्त शर्तो की पूर्णतः पालना करेगा। शर्तो की अवहेलना करने पर आवंटन करने वाला शहरी निकाय (Urban Body) आवंटन निरस्त करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

दिनांक:– 27.12.18

स्थान:– जोधपुर

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

नाम व पद

परिशिष्ट–1

नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक / चैरीटेबल एवं सामाजिक संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आवंटन बाबत निर्धारित मापदण्डों की चैक लिस्ट।

पार्ट (अ) सामान्य सूचनाएं

क्र सं		
1.	आवेदक का नाम / पता	डा. सुनील कुमार बिष्ट
2.	शहर / करबे / कॉलोनी का नाम जहां भूमि चाही गई है।	सालेह मील फांटा बालेसर बिलाड़ा के पास जोधपुर
3.	चाही गई भूमि का विवरण (राजस्व ग्राम / कॉलोनी का नाम खसरा नम्बर, क्षेत्रफल आदि)	132×132 foot- As per norms
4.	आवेदनकर्ता संस्था के रजिस्ट्रेशन की दिनांक व अन्य विवरण	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
5.1	संस्था का गत तीन वर्षो का आय–व्यय विवरण तथा गतिविधियों का लेखा जोखा	
5.2	संबंधित आवेदक संस्था द्वारा किये गये / किये जा रहे कार्यो का विवरण	
6.1	चाही गई भूमि के उपयोग बाबत् परियोजना रिपोर्ट, निर्माण लागत व आर्थिक संसाधनों का विवरण।	30 लाख

पार्ट (ब) रियायती दर पर आवंटन के औचित्य की सूचनाएं

6.2	परियोजना का लाभ समाज के किन वर्गो को व क्या लाभ मिलेगा।	ग्रामीण सर्व वर्ग
6.3	आवंटित किये जा रहे क्षेत्रफल का औचित्य एवं इस बाबत् नोर्मस	35 लाख के द्वारा भवन निर्माण
7	क्या संस्था को पूर्व में कभी इसी शहर में भूमि आवंटित की गई थी। यदि हां तो निकाय जिसके द्वारा आवंटन किया गया का नाम, आवंटन की दिनांक व क्षेत्रफल	
8.	संबंधित निकाय द्वारा किस दर पर संस्था को आवंटन का निर्णय लिया गया।	
9.	आवेदक संस्था द्वारा आवटन के पेटे कितने प्रतिशत व कितनी राशि किस दिनांक को संस्था मे जमा करवायी गई।	
10.	चाही गई विकसित भूमि की वर्तमान आरक्षित दर	
11.	चाही गई अविकसित भूमि की वर्तमान आरक्षित दर।	
12.	चाही गई भूमि नगर निगम / नगर परिषद / स्थानीय निकाय सीमा के अन्दर स्थित है अथवा बाहर	जोधपुर विकास प्राधिकरण सीमा।
13.	आवेदक संस्था के पदाधिकारियों / सदस्यों / प्रमोटर्स का विवरण तथा इनके साख संबंधी विवरण	राजकीय संस्था CMHO ऑफिस जोधपुर
13.1	यदि आवेदक संस्था द्वारा भारत सरकार की किसी योजनान्तर्गत कार्य किया जा रहा हो तो उसका विवरण	NHM राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम
13.2	यदि आवेदक संस्था द्वारा भारत सरकार / राज्य सरकार / अन्य वित्तीय संस्था से कोई आर्थिक सहायता प्राप्त की जा रही है तो उसका विवरण	NHM
14.	आवेदक संस्था को भूमि आवंटित करने का औचित्य	स्वास्थ्य सुविधा
15.	आवेदक संस्था को आरक्षित दर से कम दर पर भूमि आवंटित किये जाने का औचित्य एवं कितनी रियायत दिया जाना अपेक्षित है एवं कार्यो के संबंध में विवरण	
16.	यदि आवेदक संस्था प्रीमियर संस्था की श्रेणी में आती है तो संस्था द्वारा किये जाने वाली विनिवेश राशि का विवरण	
17.	आवंटन करने वाले निकाय का अभिमत	
18.	क्या प्रश्नगत भूमि बाबत् वर्तमान में किसी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन है अथवा स्थगन आदेश प्रभावी है।	
19.	अन्य विवरण	

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जोधपुर

(4)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: एफ.3(55)नविवि/3/2002 जयपुर, दिनांक:- 25 NOV 2016

आदेश

विषय:- भूमि आवंटन नीति, 2015 के अन्तर्गत राजस्थान के नगरीय निकायो को निःशुल्क भूमि आवंटन की शक्तियां प्रत्योजित करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन नीति, 2015 मंत्रिमण्डल आज्ञा संख्या 180/2015 दिनांक 12.09.2015 के अनुसरण में विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 26.09.2015 द्वारा जारी कर राजकीय विभागों/उपक्रमों आदि को भूमि आवंटन नीति के बिन्दु संख्या 9 द्वारा भूमि आवंटन के प्रावधान किये गये है। उल्लेखनीय है कि भूमि आवंटन नीति, 2015 में राजकीय विभागों एवं राज्य सरकार द्वारा पोषित मण्डल/निगम/उपक्रम आदि को भूमि आवंटन हेतु अधिकतम क्षेत्रफल निर्धारित किया हुआ नही है।

विभाग द्वारा पूर्व में विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 28.06.2016 द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को जल प्रदाय योजनाओं आदि के लिये 1000 वर्गमीटर से नीचे की भूमि निःशुल्क आवंटन किये जाने की शक्तियां प्राधिकरण/न्यासो को प्रदत्त की गयी है।

इसी के अनुरूप राजस्थान नगर सुधार (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 31 सहपठित नियम 15(बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नानुसार निःशुल्क भूमि आवंटन हेतु विकास प्राधिकरणों/न्यासों/नगरीय निकायो को शक्तियां प्रत्यायोजित की जाती है :-

1	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग व अन्य राजकीय विभागों को उनके कार्यालय, इफास्ट्रेक्चर हेतु भूमि आवंटन	1000 वर्गमीटर तक
2	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	4000 वर्गमीटर तक
3	उप स्वास्थ्य भवन	500 वर्गमीटर तक
4	पुलिस थाना	2000 वर्गमीटर तक
5	पुलिस चौकी	500 वर्गमीटर तक

उपरोक्त सीमा से अधिक आवंटन की स्थिति में प्रस्ताव मय औचित्य के राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाये जावे। यह आदेश समस्त नगरीय निकायों पर तुरन्त प्रभाव से लागू किया जाता है।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव--प्रथम O/C

जोधपुर विकास प्राधिकरण,जोधपुर

रेल्वे अस्पताल के सामने रातानाडा,जोधपुर –342004

email-jdanic-jod-rj@nic.in web side- jodhpurjda.org phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax No 0291-2612086

क्रमांकः–एफ–46/आवंटन(पूर्व)/2019/ 696. दिनांकः– 25/09/2019

अनालिस्ट कम प्रोग्रामर(A.C.P.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

विषयः– ग्राम डांगियावास के खसरा संख्या 117 किस्म गै.मु. गोचर नवीन उपस्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण हेतु भूमि आवंटन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मुख्यचिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर के पत्र क्रमांक 23939 दिनांक 27.12.2018 के द्वारा आवंटन नीति'–2015 के प्रावधानों के अनुरूप प्रपत्र–स में आवेदन पेश कर जोधपुर में ग्राम सोलह मील फांटा बावरला बिसलपुर के पास उपस्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण हेतु भूमि आवंटन आवंटन की मांग की गई है।

पटवारी (पूर्व) द्वारा ग्राम डांगियावास के खसरा सख्या 117 रकबा 70 बीघा किस्म गै.मु. गोचर जोधपुर विकास प्राधिकरण के स्वामित्व की भूमि पर 1 बीघा भूमि का चिन्हिकरण किया गया है।

नवीन आवंटन नीति 2015 के अन्तर्गत जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उनकी योजना, गैर योजना क्षेत्रो एवं अन्यत्र स्थानो पर विभिन्न उदेश्यो हेतु आवंटन योग्य उपलब्ध विकसित और अविकसित भूमि को आवंटन करने से पूर्व चिन्हित कर विभागीय वेबसाइट पर न्यूनतम 15 दिवस के लिये अपलोड करने का प्रावधान है, ताकि उस पर आमजन की टिप्पणी/ आपत्ति प्राप्त की जा सके।

अतः मुख्यचिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा पेश किये गये समस्त दस्तावेज पत्र के साथ संलग्न कर प्राधिकरण की वेबसाइट पर न्यूनतम 15 दिवस के लिये अपलोड करें एवं अगर आमजन की टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त होती है तो संबंधित सूचना से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

25.9.2019

उपायुक्त (पूर्व)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

क्रमांकः–एफ–46/आवंटन(पूर्व)/2019/ **दिनांकः–**

प्रतिलिपीः– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव (अध्यक्ष/आयुक्त महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर।

उपायुक्त (पूर्व)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर